बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

स्वीकृत्यादेश संख्या– 2/स्कीम–10–30/2017 श्र0सं0–

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.......................

विषय– मुख्य शीर्ष 2230–श्रम तथा रोजगार, उप मुख्य शीर्ष–01–श्रम, लघु शीर्ष–101–औद्योगिक संबंध, उप शीर्ष–0109–कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण, विषय शीर्ष–5201, मशीनें एवं उपस्कर मांग संख्या–26, के अंतर्गत विपत्र कोड–26–2230011010109 स्कीम कोड–LAB–5229 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राषि से श्रम संसाधन विभाग, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना के सभी सात तल्लों (भूतल+छः तल्लों) पर CCTV CAMERA अधिष्ठापित करने के लिये कुल 65.59384 लाख रुपये (पैंसठ लाख उनसठ हजार तीन सौ चौरासी रुपये) मात्र राशि के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– **स्वीकृत।**

महाशय,

निदेशानुसार श्रम संसाधन विभाग के नवनिर्मित नियोजन भवन, बेली रोड, पटना के सभी सात तल्लों (भूतल+छः तल्लों) पर CCTV CAMERA अधिष्ठापित करने के लिये बिहार सरकार का उपक्रम बेल्ट्रॉन के द्वारा उनके पत्रांक 7236/19 दिनांक 16.12.2019 के माध्यम से कुल 65.59384 लाख रुपये (पैंसठ लाख उनसठ हजार तीन सौ चौरासी रुपये) मात्र का प्रोफार्मा इन्व्यास प्राप्त है, जिसमें 7 प्रतिशत निगम की मार्जिन राशि भी शामिल है।

इस प्रोफार्मा इन्व्यास के विरुद्ध नियोजन भवन के सभी सात तल्लों (भूतल+छः तल्लों) पर CCTV CAMERA अधिष्ठापित करने के लिये कुल 65.59384 लाख रुपये (पैंसठ लाख उनसठ हजार तीन सौ चौरासी रुपये) मात्र की अग्रिम निकासी एवं उक्त राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– यह वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 96 वि0(2) दिनांक 03.01.2008, वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 2190 वि0 (2) दिनांक 17.03.2008 एवं विभागीय परिपत्र संख्या 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत है।

3– यह राशि मुख्य शीर्ष 2230–श्रम तथा रोजगार, उप मुख्य शीर्ष–01–श्रम, लघु शीर्ष–101–औद्योगिक संबंध, उप शीर्ष– 0109–कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण, विषय शीर्ष 52 01 मशीनें एवं उपस्कर, मांग संख्या– 26, के अंतर्गत विपत्र कोड– 26–2230011010109 स्कीम कोड–LAB-5229 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में विकलनीय होगी।

4– इस हेतु इस बजट शीर्ष के अंतर्गत 5.00 करोड़ रूपये (पाँच करोड़ रूपये) का बजट उपबंध स्वीकृत है।

5– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना होंगे।

6– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सरकार पक्ष, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना इस राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इसे बेल्ट्रॉन, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

7– स्कीम की स्वीकृति के प्रस्ताव पर संचिका संख्या 2/स्कीम–10–30/2017 श्र0सं0 के पृ0 संख्या– 46/टि0 पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन दिनांक 25.12.2019 को प्राप्त है।

8– उक्त राशि के अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर संचिका संख्या 2/स्कीम–10–30/2017 श्र0सं0 के पृ0 संख्या– 46/टि0 पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

9– स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2/स्कीम–10–30/2017 श्र0सं0 के पृ0 54/टि0 पर दिनांक 29.01.2020 को प्राप्त है।

ह0/–
उप सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2/स्कीम–10–30/2017 श्र0सं0– /पटना, दिनांक............................

प्रतिलिपिः–
1. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वित्त विभाग, व्यय शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सरकार पक्ष, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
5. प्रबन्ध निदेशक, बेल्ट्रॉन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/–
उप सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2/स्कीम–10–30/2017 श्र0सं0– 241 /पटना, दिनांक 07/2/2020

प्रतिलिपिः– लेखा शाखा (सरकार पक्ष), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में)/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Suryakant Tiwari
6/2/2020
उप सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

आई0टी0 मैनेजर